**Mafia employees in Dhori area of Central Coalfied Limited**

1989. SHRI SAMAR MUKHERJEE; Will the Minister of COAL be pleased to state;

(a) whether Government have received any complaints about 'Mafia employees in Dhori area of CCS amassing wealth at the cost of the company during the last three months; if so, the details of the facts;

(b) whether any probe has been made in this connection; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**कोल इंडिया लिमिटेड के ढांचे में परिवर्तन किया जाना**

**1990. श्रीमती सुषमा स्वराज :**
**श्री रणजीत सिंह :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयला उद्योग की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने वर्ष 1981 में कोल इंडिया लिमिटेड के ढांचे में परिवर्तन करने का विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 1991 तक कई समितियां गठित की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी समिति कब-कब गठित की गयी, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब-कब सौंपी तथा इन समितियों पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(घ) इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड़ा) : (क) से (घ) अगस्त, 1980 में श्री मोहम्मद फजल, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन की जांच करने और आंतरिक संसाधनों को जुटाने और उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए उपयुक्त सुझाव दिए जाने के लिए गठित की गई थी। अन्य बातों के अलावा, समिति ने नवम्बर, 1980 में यह सुझाव दिया था कि कोल इंडिया लि० को०इं०लि०) का एक धारक कंपनी के रूप में परिसमापन कर दिया जाए और सहायक कंपनियां स्वतंत्र कंपिनयों के रूप में कार्य करें। समिति की इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने, सितम्बर, 1984 में डा० अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित के संबंध में जांच किये जाने के लिए एक समिति का गठन किया था। वैकल्पिक संगठनात्मक ढांचा तैयार करने और अन्य परिवर्तनों का सुझाव दिये जाने ताकि सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध को अधिक स्वायत्तता और जिम्मेदारी दी जा सके। इस समिति ने दिसम्बर, 1984 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सार्वजनिक उद्यमों के लिए धारक कंपनी ढांचा एक संगठनात्मक ढांचे के रूप में एक उपयुक्त ढांचे का स्वरूप प्रदान करता है।

दिसम्बर, 1986 में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद को कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों की जिम्मेदारी तथा उनकी विद्यमान भूमिका की समीक्षा किए जाने का अध्ययन किए जाने का कार्य सौंपा गया था। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज ने अप्रैल, 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, ने कोल इंडिया लि० को एक धारक कंपनी के रूप में परिसमापन किए जाने की सिफारिश की थी।

सचिवों की समिति ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया और यह सिफारिश की कि कोल इंडिया लि० को धारक कंपनी के रूप में ही जारी रखना अधिक सुविधाजनक होगा।

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज को इस अध्ययन का कार्य किए जाने के लिए 1,35,000 रु० की राशि अदा की गई थी। श्री फजल के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति और डा० सेन गुप्ता के अंतर्गत समिति का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था और उक्त समितियों ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलापों की जांच की थी, जिसमें कोल इंडिया लि० की जांच भी शामिल थी। अतः कोयला क्षेत्र के लिए इस पद के अंतर्गत किए गए व्यय का अलग से ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

**बिजली, इस्पात तथा सीमेंट उद्योग को कोयले की सप्लाई कम मात्रा में किया जाना**

1991. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
**डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले कई वर्षों से बिजली उत्पादन क्षेत्र, इस्पात तथा सीमेंट उद्योग की मांग के अनुरूप कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भविष्य में इन उद्योगों को कोयला खानों से स्वतः ही कोयला खनन करने की अनुमति देने पर विचार किया है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

**कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौडा) :** (क) वर्ष 1991–92 में, विद्युत, इस्पात तथा सीमेंट संयंत्र की कोयले की कुल आपूर्ति में वर्ष 1990–91 में की गई आपूर्ति की तुलना में वृद्धि हुई है और वर्ष 1989–90 में की गई आपूर्ति की तुलना में वर्ष 1990–91 में वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में वर्ष 1989–90, 1990–91 तथा 1991–92 में कोयले की मांग की संतोषप्रदता समग्र रूप में क्रमशः 89%, 90% तथा 93% रही है।

(ख) और (ग) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन कोयले/लिग्नाइट का लौह एवं इस्पात उद्योग द्वारा उपभोग किए जाने के खनन कार्य और ऐसे क्षेत्रों में लघु रूप में खनन किए जा रहे कार्य को जो कि आर्थिक विकास की दृष्टि से उपयोगी नहीं है तथा जिन क्रियाकलापों में रेल परिवहन अपेक्षित नहीं है और जो खनन कार्य ग्रहीत रूप में किए जा रहे हैं को छोड़कर, खनन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। किंतु ग्रहीत उपभोग के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निजी यूनिटों को कोयला खानों को पट्टेदारी पर दिए जाने के लिए अधिनियम में संशोधन किए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा कच्चे माल की खरीद**

1992. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान खरीदे गये कच्चे माल के ब्यौरे सहित निविदाओं तथा सीधे बातचीत के माध्यम से खरीदे गये कच्चे माल के आंकड़े क्या-क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कतिपय मदों को एल-I से इतर अन्य पक्षकारों से खरीदा गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;